आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत आर०एम० वाद सं०—13/2011—12 उर्मिला देवी

or ren 441		विक्रेता
राजिक्षांच विद्य सम्ब	बनाम	

राजिकशोर सिंह मुण्डा......केत

25.07.22 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमित वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नहीं दिखाई जा रही है यानि आवेदक को जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	
तैमारा	बुण्डू	86	1287	0.24 ए०
ואואו	बुण्डू	86	1287	0.24

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

9482116 67